



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032022-234025
CG-DL-E-10032022-234025

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]
No. 177]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/ फाल्गुन 18, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सा.का.नि. 180(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (i) के साथ पठित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 88 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियमावली, 2022 कहा जा सकेगा।
(2) ये 7 जनवरी, 2021 से प्रभावी हुए माने जाएंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 में विनियम 2 में उप-विनियम (I) में खंड (अ) में उप-खंड (झ) में मद (ड.) के बाद और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा, नामतः:-
“(च) जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा;”

[फा. सं.14015/40/2021- अ.भा.से. (I)(4)]

पंकज गंगवार, अवर सचिव

नोट: मूल विनियम दिनांक 6 जून, 1955 की अधिसूचना सं. 14/1/54-एआईएस (II) के तहत अधिसूचित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक 17 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department Of Personnel And Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2022

G.S.R. 180(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and section 88 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) read with sub-rule (i) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 2022.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 7th day of January, 2021.
2. In the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (j), in sub-clause (i), after item (e) and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
“ (f) the Jammu and Kashmir Civil Service;”.

[F. No.14015/40/2021-AIS(I)(4)]

PANKAJ GANGWAR, Under Secy.

Note: The principal rules were notified vide number 14/1/54- AIS(II), dated the 6th June, 1955 and last amended vide notification number G.S.R. 198(E), dated the 17th March, 2015.